राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1683/2012

विनोद लाल मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा।
2. जिला कलेक्टर, बूंदी, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने पटवारी के पद पर उचित वरिष्ठता दिये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन रहा है कि दिनांक 12.07.2005 को प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गयी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–189 पर था और उसकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.06.1978 अंकित थी। अपीलार्थी से कनिष्ठ महेश जैन एवं रघुनन्दन क्रमशः 190 एवं 195 पर अंकित था। बाद में अपीलार्थी की वरिष्ठता उक्त रघुनन्दन एवं महेश जैन से नीचे रखी गयी।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्वैच्छा से राजस्व विभाग में आने हेतु आवेदन किये जाने पर वरिष्ठता निर्धारण नियमों के तहत बूंदी जिले में वरिष्ठता का निर्धारण अधीनस्थ मंत्रालयीक सेवा नियमावली के नियम 37.1 के परन्तुक (iii) के अनुसार सही है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)